न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बरः—14 / 18 तारीख रजूः—05.03.2018

जीसीएमएस नं0.2018 / 00070

उनवान

1. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री गौरीशंकर शर्मा उम्र 65 साल, जाति बाण निवासी—हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज०) । (मृतक)

1 / 1 अशोक कुमार आयु 44 ताल विसरान हनुमान प्रसाद

1 / 2 सुरेश उम्र 42 साल जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डीन रिटी।

1 / 3 योगेश उम्र 32 साल

1 / 4 सतीश उम्र 40 साल

1 / 5 श्रीमती मधुरानी पुत्री हनुमान प्रत्ताद धर्म पत्नि राजेन्द्र प्रसाद जाहि ब्राह्मम्ण निवासी महुकलां, तहसील गंगापुर सिटी।

1 / 6 श्रीमती लक्ष्मी बैंबा हनुमान प्रसाद उम्र 62 साल जाति ब्राडाम्ण निवासी हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राजा)

——सायल—

बनाम

1. गौरी शंकर पुत्र लोहडेराम जाति ब्राहाम्ण निवासी हिण्डौन मृतक

1 / 1 गोविन्द प्रसाद पुत्र गौरी शंकर जाति ब्राहाम्ण निवासी हिण्डौन सिटी।

1 / 2 हरिप्रसाद पुत्र श्री गौरीशंकर जाति ब्राहाम्ण निवासी हिण्डौन सिटी।

1 / 3 पुष्पा देवी पत्नि रामकुमार पुत्री मनोहरीलाल शर्मा, खेडापति मोहल्ला महादेव के पास भरतपुर (राज०)

1 / 4 लता देवी शर्मा पुत्री मनोहरीलाल शर्मा पत्नि शिवनंद शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी नीमदा गेट भरतपुर, जिला भरतपुर (राज०)।

1 / 5 सुमन देवी पुत्री मनोहरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी भुसावर।

1 / 6 सुशीला देवी शर्मा पुत्री मनोहरीलाल जांति ब्राह्मम्ण निवासी भरतपुर।

1 / 7 सरला देवी धर्म पत्नि रोहित कुमार पुत्री मनोहरीलाल जाति ब्राह्मम्ण निवासी बासनगेट पुरोहित मोहल्ला भरतपुर।

1 / 8 नूतन धर्म पत्नि श्री जगेन्द्र शर्मा, 68, रणजीत नगर भरतपुर।

1 / 9 कृष्ण मोहन पुत्र मनोहरीलाल जाति ब्राह्मम्ण निवासी भुसावर।

1 / 10 महेन्द्र कुमार पुत्र मनोहरीलाल जाति ब्राहाम्ण निवासी भुसावर।

1 / 11 राकेश कुमार पुत्र मनोहरीलाल जाति ब्राह्मम्ण निवासी भुसावर।

1 / 12 मीना पुत्री मनोहरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर।

2. हरिबाबू शर्मा पुत्र गिर्राज प्रसाद शर्मा जा[illegible] निवासी खेडिया, हाल एडवोकेट हिण्डौन सिटी, मुताबिक अ[illegible]।

3. रामभरोसी गुप्ता पुत्र मो[illegible] निवासी [illegible] मुशिंफ कोर्ट कैम्पस, मुताबिक आदेशा मुकदमा बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति 1 श्री पी एल गोयल प्रार्थी

2 श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी प्रार्थी

3 गैरसायलान के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक--

पत्रावली पेश हुई उभयपक्षकारान अभिभाषक उपस्थित प्रार्थना पत्र आर्डर रूल 9 सपतित धारा 151 वादीगण द्वारा दिनांक 02.05.2024 को पेश किया गया जो इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे तारीख पेशी दिनांक 18.2.2018 नियत थी, उपरोक्त प्रकरण मे पूर्व मे सायलान के अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा थे जिनका कि देवयोग से देहान्त हो गया, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त प्रकरण मे सायलान को नया अधिवक्ता नियुक्त कर उसके वकालतनामा पेश किये जाने बाबत, तारीख पेशी दी गई थी।

प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 18.02.2018 सायलान की ओर से वकालत नामा पेश किये जाने बाबत नियत थी, उक्त दिनांक को अत्यधिक शादीयॉ थी तथा सायलान अपने मिलने जुलने वाले लोगो की शादियों मे चले जाने के कारण प्रकरण में उपस्थित नही हो सके और प्रकरण सायलान की अनुपस्थिति में अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज फरमा दिया।

उपरोक्त तारीख पेशी पर सायलान अपने मिलने जुलने वालों की शादी में चले जाने के कारण हाजिर नही हो सके। सायलान के उपरोक्त प्रकरण मे हाजिर होने में जानबुझकर कासिर नहीं रहे है, बल्कि शादियों में चले जाने से हाजिर नहीं हो सके।

सायल सुरेश दिनांक 19.02.2018 को शादी से वापिस आया और वापिस आकर उसने उक्त प्रकरण की न्यायालय श्रीमान के यहां आकर जानकारी की तो उसे उक्त प्रकरण की दिनांक 18.02.2018 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज होने की जानकारी हुई जिस पर तुरन्त ही वकील नियुक्त करके प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया जा रहा है। इसलिये दावा हाजा को रेस्टोर (पुनः नम्बर पर) किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अगर हाजा रेस्टोर नहीं किया गया तो सायलाम को अपूर्तणीय क्षति होगी सायलान न्यायप्राप्ति से वंचित हो जायेंगें। इसलिये साप हाजा को रेस्टार किया जाना कानूनन एवं न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त हाजा को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर फरमाया जावे।

[illegible] गैरसायलान नं0 3

गैरसायलान [illegible] 27.08.2021 से गैरसायलान नं0 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका [illegible] के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। आदेशिका दिनांक 06.02.2025 द्वारा गैरसायलान 1/1 ता 1/12 व 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे सायल वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गयी जिसमें सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया सायलान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण मे मूल प्रार्थना पत्र रिसीवर मुकदमा न0 226/02 दिनांक 19.02.2018 को अदम हाजिरी व अदम पैरवी मे आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के तहत खारिज किया गया था परन्तु प्रकरण का अंतिम निस्तारण होने से पूर्व ही प्रकरण खारिज होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 9 न्यायोचित प्रतीत होने एवं मूल वाद का का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर विधि के प्रावधानों के अनुसार अंतिम निस्तारण करने हेतु सायलान का प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 9 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलन का प्रार्थना पत्र विरूद्ध गैरसायलान अन्तर्गत धारा आर्डर 9 रूल 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर मूल दावा मुकदमा 226/02 पुनः दर्ज किया जाकर सायलान/वादी व गैरसायलान/प्रतिवादी को तलब कर वास्ते सुनवाई/साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 04.04.2025 को पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बरान से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3/3/25 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:36 IST
Reason: SelfAttested